ऑन लाईन पंजीयन एवं योजना हेल्प फाईल

ऑन लाईन पंजीयन करने के लिये सबसे पहले वेब ब्राउजर में

http://cg.nic.in/labour/ URL टाईप करें

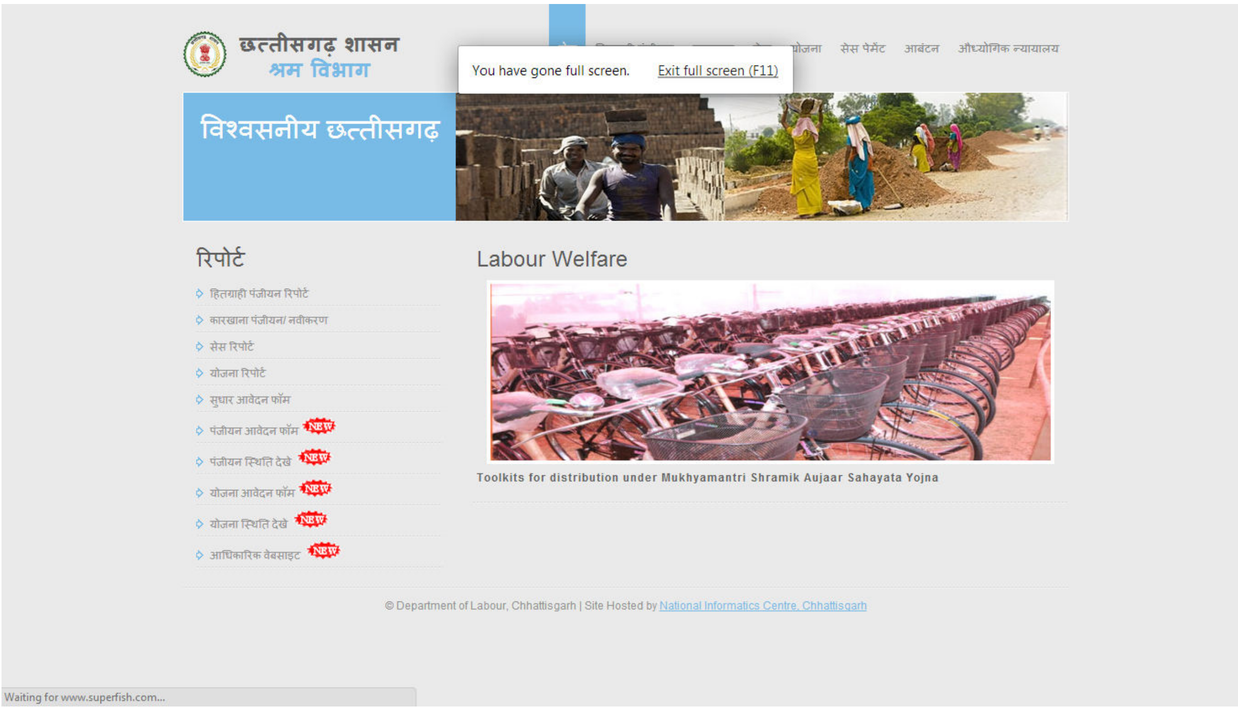

तत्पश्चात उपरोक्त दिया हुआ होम पेज दिखाई देगा।

1. होम पेज में दिये हुये लिंक ***पंजीयन आवेदन फॉम*** पर क्लिक करने से ऑन लाईन पंजीयन आवेदन फॉम दिखाई देगा।

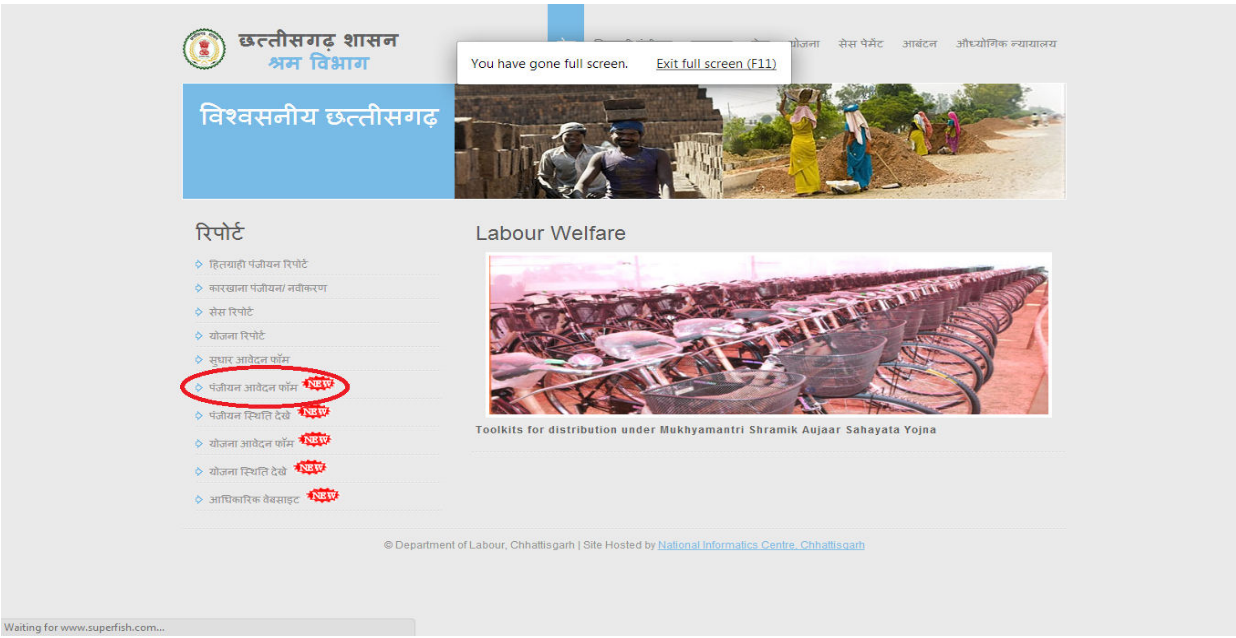

जिस पेज के व्दारा हितग्राही स्वयं अपने पंजीयन के लिये आवेदन ऑन लाईन कर सकता है।

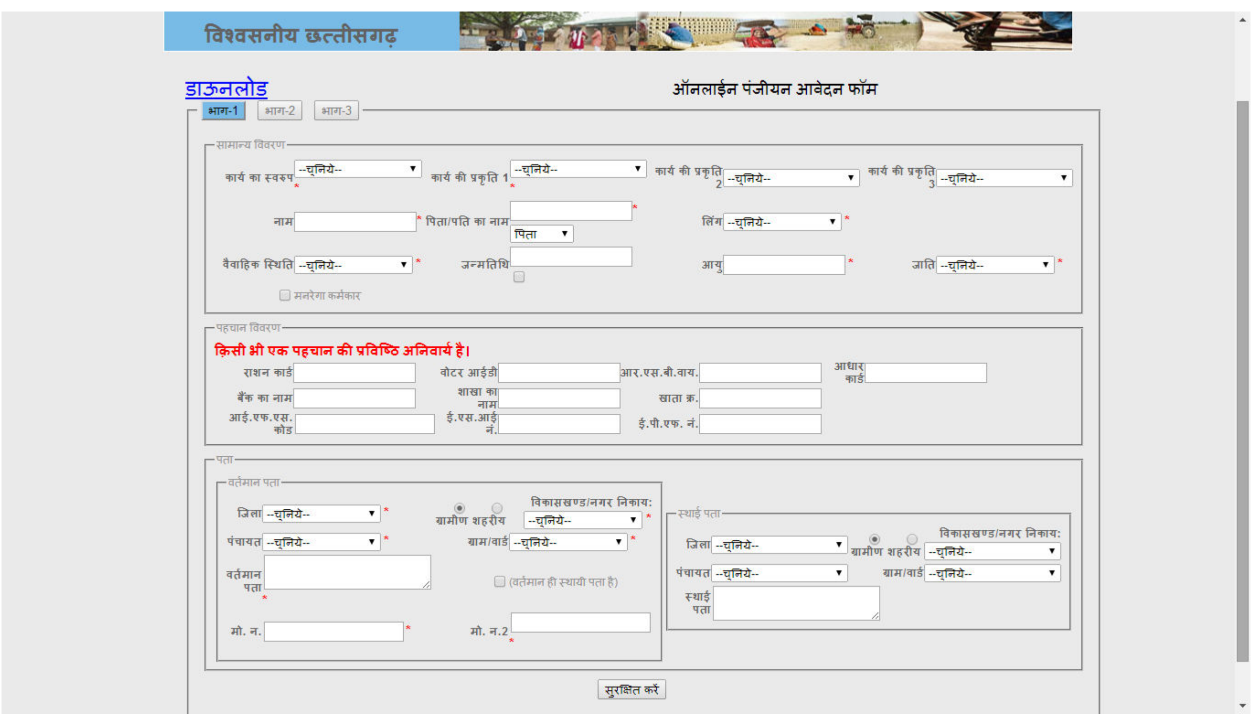

पंजीयन आवेदन फॉर्म में प्रविष्टि के लिये केवल मंगल फॉन्ट (युनिकोड) का ही उपयोग करें, अन्यथा आप का आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा॥

हिन्दी सॉफटवेयर इनस्टॉल करने के लिये पंजीयन आवेदन फॉर्म में डाऊनलोड का लिंक दिया गया है।

आवेदन फॉम को तीन भागो में विभाजित किया गया है।

भाग-1 में आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी की प्रविष्टि करनी होगी।

जैसे:- नाम, पति/ पिता का नाम ,कार्य का स्वरुप, वर्तमान पता और स्थायी पता,संबंधित बैंक की जानकारी आदि । जिस जानकारी के सामने

लाल रंग के सितारे हो, उस जानकारी कि प्रविष्टि अनिवार्य है।

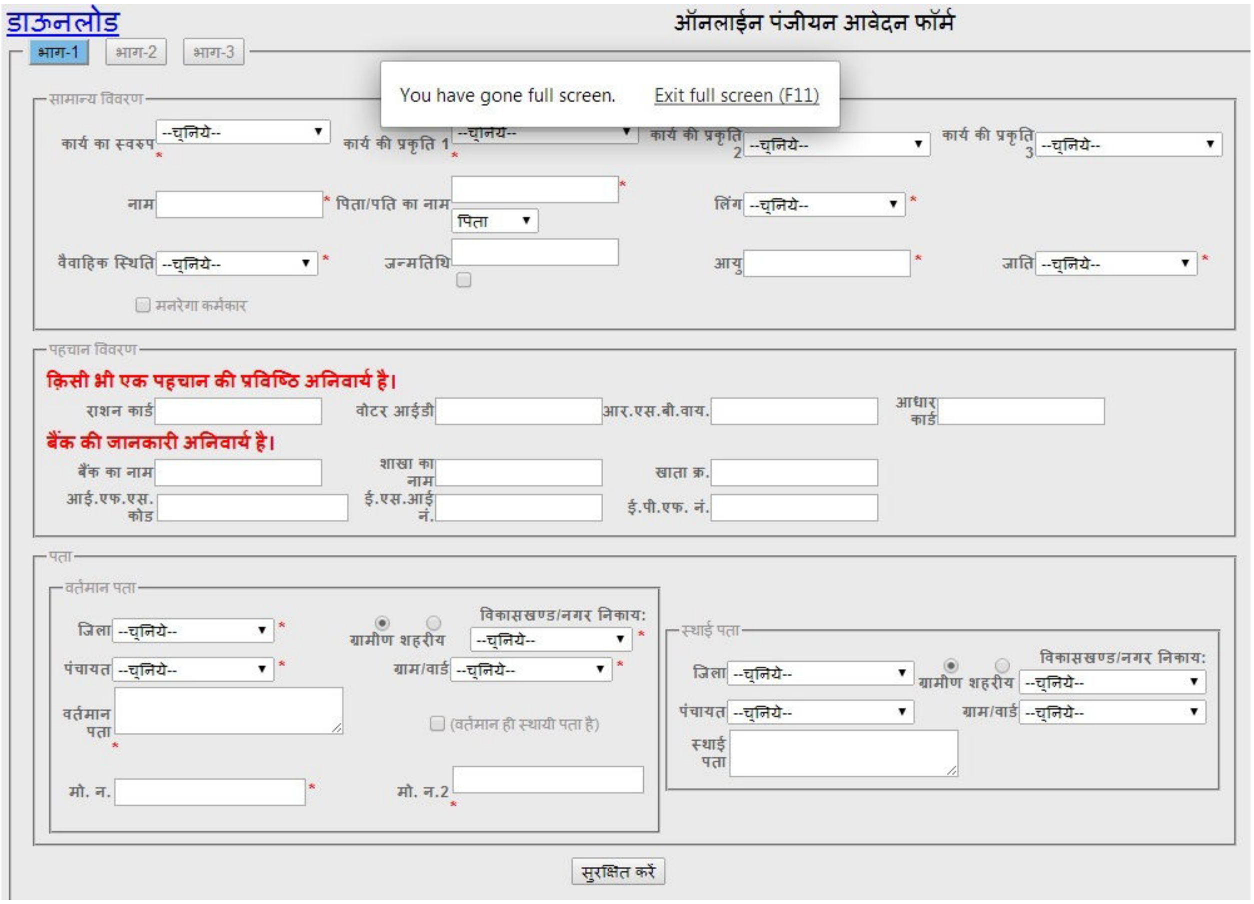

भाग-1 सुरक्षित होने के पश्चात आपका आवेदन क्रमांक स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा, जिसे आप लिख कर रख सकते है, एवं किसी कारणवश तीनों भागो की प्रविष्टि एक साथ पूर्ण ना होने की स्थिति में इस आवेदन क्रमांक के व्दारा भविष्य में कभी भी प्रविष्टियां पूर्ण की जा सकती है।

भाग-2 में आपको अपने कार्य के नियोजन तथा परिवार के सदस्यो के जानकारी की प्रविष्टि करनी होगी।

भाग-3 में आपको अपने पासपोर्ट साईज फोटो तथा पहचान पत्र की स्कैन प्रतियां अपलोड करनी होगी, जिसके लिये पासपोर्ट साईज फोटो, वोटर आईडी और आयु प्रमाण पत्र(शैक्षणिक संस्थान की अंकसूची अथवा जन्म प्रमाण पत्) अनिवार्य है।

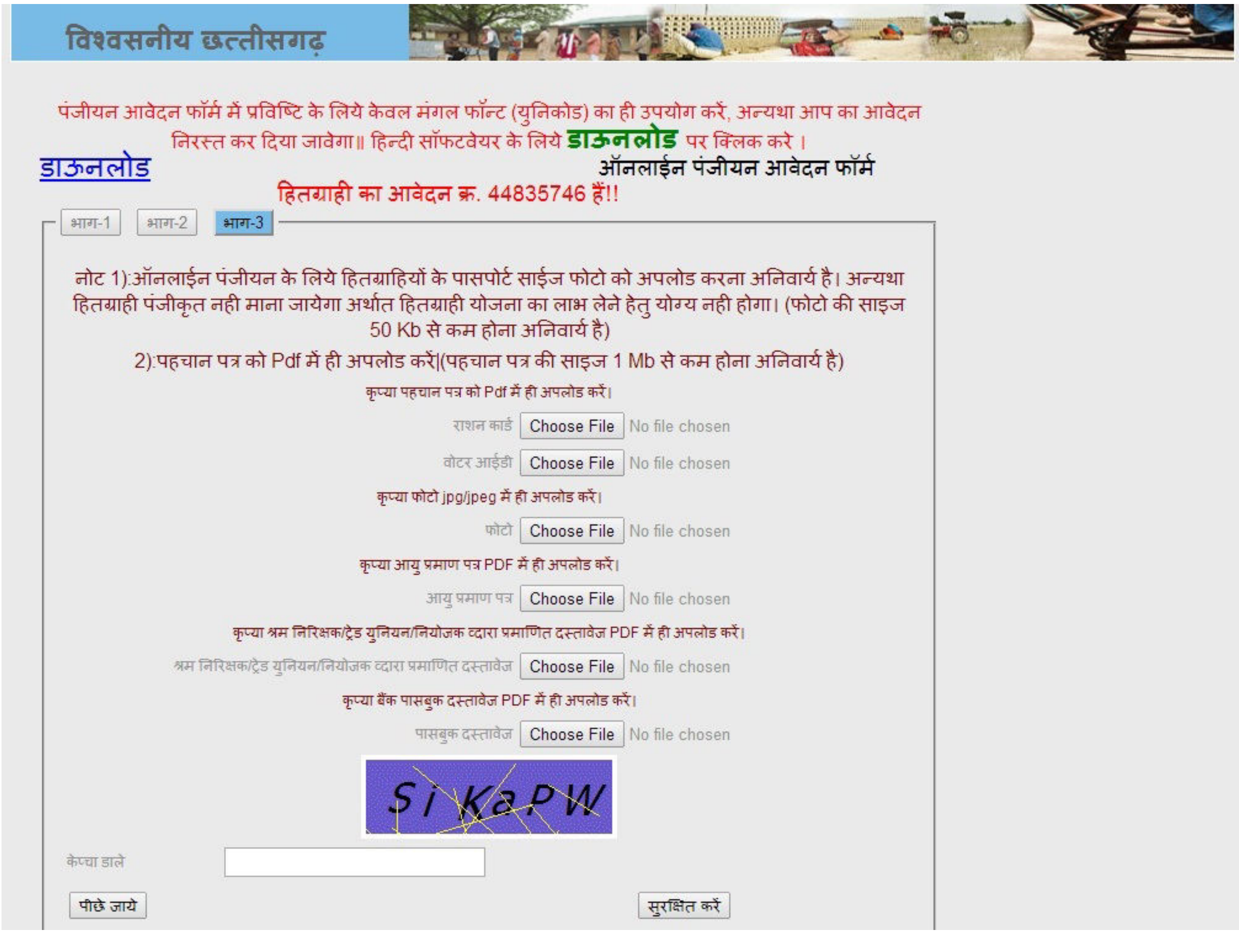

सुरक्षित करने के पश्चात स्क्रीन पर आपके सामने आपकी पूर्ण जानकारी दिखाई देने लगेगी जिसे आप जांच कर सकते है, कि प्रविष्टियों मे जानकारी सही है अथवा नही। अगर प्रविष्टियां सही हो तो स्थायी रुप से सुरक्षित कर सकते हैं। यदि कोई त्रुटि हो गयी हो, तो सुधार सकते हैं।

सुरक्षित करने के पश्चात आपके सामने आवेदन क्रमांक सहित आवेदन का संक्षिप्त विवरण दिखाई देगा जिसे आप प्रिंट कर सकते है। एवं इसके माध्यम से आप भविष्य में अपने आवेदन पर की गई कार्यवाही की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

2. होम पेज में दिये हुये लिंक ***पंजीयन स्थिति देखे*** पर क्लिक करने से हितग्राही स्वय़ं अपने पंजीयन आवेदन कि स्थिति देख सकता है, कि हितग्राही जांचपूर्ण पंजीकृत हुआ है या नही ।